

राजस्थान विधान सभा

नवम् सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1. श्री नानालाल बीरबाल - पूर्व सदस्य, पांचवीं तथा सातवीं राजस्थान विधान सभा।
2. श्री मूलचन्द सामरिया - पूर्व सदस्य, पांचवीं तथा छठीं राजस्थान विधान सभा ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनार्यं

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यं सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-127 दिनांक 24.10.2017 जिसके द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर, 2017 हेतु जीएसटीआर-3बी फॉर्म के विलम्ब से दाखिल करने पर विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-120 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा-148 के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वितरण हेतु भोजन सामग्री की अंतः राज्य आपूर्ति पर 2.5 प्रतिशत की दर से एसजीएसटी का निर्धारण किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-121 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-122 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा-147 के अन्तर्गत डीम्ड निर्यात मानते हुए कुछ माल की आपूर्तियों को अधिसूचित किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-123 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा प्रतिदाय दावे के लिये डीम्ड निर्यात आपूर्तियों के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक प्रमाणों को अधिसूचित किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-124 दिनांक 23.10.2017 जिसके द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत निर्यात हेतु पंजीकृत प्राप्तकर्ता को आपूर्ति करने हेतु वस्तुओं पर राज्य कर दर 0.05 प्रतिशत सशर्त निर्धारित की गई है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-106 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-107 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-108 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-110 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-111 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-112 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-43 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.6.2017 में संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-114 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(1) के अन्तर्गत मोटर वाहनों की आपूर्ति के लिये लागू राज्य कर की दर 65 प्रतिशत एसजीएसटी निर्धारित की गई है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-115 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/ 2017-पार्ट-II-86 दिनांक 15.09.2017 में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-116 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-6(1) के अन्तर्गत प्रतिदाय हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-117 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-118 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/ 2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-119 दिनांक 13.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-148 के अन्तर्गत छोटे करदाताओं हेतु कर जमा कराने की अवधि निर्धारित की गई है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 1.5.2017 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-58 के अन्तर्गत सरकारी ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से किये गये उपापनों को सशर्त छूट प्रदान की गई है;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 8.6.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/कर/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 2.8.2017 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/कर/जीएफएण्डएआर/2017 दिनांक 13.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/कर/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं
24. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/कर/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.9.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/कर/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

4. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) पर मतदान एवं पारण

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

5. विधायी कार्य

(क) विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-3)
विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-36)

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी ।

- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(ख) विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-42)

“पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 अक्टूबर, 2017